न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी
अति0 कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, (चतुर्थ) जयपुर

एफ.एस.एस.ए. प्रकरण संख्या : 07/2021

सुशील कुमार चोटवानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम, जयपुर।

प्रार्थी,

बनाम

नरेन्द्र कुमार अग्रवाल पुत्र श्री मुरारीलाल अग्रवाल (विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स :– नरेन्द्र कुमार एण्ड कम्पनी, पुराना रास्ता, अनाज मण्डी रोड, चौमू, जिला–जयपुर।

अभियुक्त,

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एवं 27 (3) (a)/51, 52 एवं 58 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम, 2011)

उपस्थितिः–
1. पेरोकार सरकार उपस्थित ।
2. श्री मंयक गुप्ता, अभिभाषक, अभियुक्त की ओर से।

निर्णय **दिनांक : 28.03.2022**

यह परिवाद सुशील कुमार चोटवानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम, जयपुर द्वारा प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा परिवाद प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि दिनांक 16.09.2020 को मैसर्स नरेन्द्र कुमार एण्ड कम्पनी, पुराना रास्ता, अनाज मण्डी रोड, चौमू, जिला–जयपुर का अभियुक्त नरेन्द्र कुमार अग्रवाल की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण मौके पर एक लकडी की रैक में नमकीन (कान्हाजी) के 400gm. वजन वाले 14 सील्ड पाउच आम जनता को विक्रय करने के लिए रखे हुए थे। इसमें गुणवत्ता/मिसब्राण्ड का अंदेशा होने पर इसमें से नमकीन (कान्हाजी) 4 सील्ड पाउच वास्ते नमूना जांच संख्या अभिहित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर के कोड एवं क्रमांक ई–4603 के लिये क्रय किया गया। क्रय किये गये नमकीन (कान्हाजी) 4 सील्ड पाउच की कीमत अंके रूपये 200/– (अक्षरे रूपये दो सौ मात्र) मौके पर उपस्थित नरेन्द्र कुमार अग्रवाल से केश मीमो/रसीद प्राप्त की। जिस पर बतौर सबूत विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर है। जांच हेतु क्रय किये गये नमकीन (कान्हाजी) 4 सील्ड पाउच की जांच कराये जाने पर खाद्य पदार्थ नमकीन (कान्हाजी) मिसब्राण्ड एवं सब–स्टैण्ड (Under section 3 (1)(zf)(C)(i) of FSSA 2006, but this sample is not fully marketable as it sold after the date of best before होना पाया गया है। अभियुक्त द्वारा विक्रय हेतु रखे गये नमकीन (कान्हाजी) को अमानक/सब–स्टैण्ड एवं नही विक्रय योग्य खाद्य पदार्थ पाये जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाना पाया गया है। अतः धारा 51 में निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावें।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण नियमानुसार दर्ज रजिस्टर कराया जाकर अभियुक्त को नोटिस दिया जाकर साक्ष्य सबूत का समुचित अवसर प्रदान

किया गया। अभियुक्त अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश किया गया। जिसे शामिल मिसल कराया गया।

उभयपक्षों को सुना गया। पेरोकार सरकार ने आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी को राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तिया प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक,(जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/475 दिनांक 10.08.2011 के अनुसार उन्हे कार्यक्षेत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम क्षेत्र आवंटित किया गया है। जिसके अन्तर्गत आने वाला समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्यक्षेत्र में आता है। तहसील चौमू भी उनके कार्यक्षेत्र में होने के कारण उनके द्वारा उक्त विक्रेता के यहां नमूना लिया गया है। आवेदक को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की प्रदत्त शक्तियों एवं आवंटित क्षेत्र के तहत खाद्य पदार्थ विक्रय स्थल का निरीक्षण किये जाने की शक्तियां निहित होने के फलस्वरूप कर्तव्यों का निर्वहन किये जाने के अनुसरण में दिनांक 16.09.2020 को अभियुक्त खाद्य कारोबारकर्ता नरेन्द्र कुमार अग्रवाल के पास उपलब्ध नमकीन (कान्हाजी) 4 सील्ड पाउच का भौतिक रूप से निरीक्षण करने पर विक्रेता के पास एक लकडी की रैक में नमकीन (कान्हाजी) के 400gm. वजन वाले 14 सील्ड पाउच आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ होना पाया गया। इसमें गुणवत्ता में कमी/मिसब्राण्ड का शक होने पर नमूना जांच हेतु नमकीन (कान्हाजी) 4 सील्ड पाउच की कीमत अंके रूपये 200/–(अक्षरे रूपये दो सौ मात्र) खाद्य कारोबारकर्ता श्री नरेन्द्र कुमार अग्रवाल को देकर क्रय किया गया और केश मीमो–रसीद खाद्य कारोबारकर्ता नरेन्द्र कुमार अग्रवाल से गवाहान के सामने प्राप्त कर मौके पर नमूना जांच नम्बर ई–4603 दर्ज किया गया और मौके पर प्ररूप 5ए तैयार कर एक प्रति अभियुक्त को दी गई जिसकी प्राप्ति के हस्ताक्षर स्वयं अभियुक्त नरेन्द्र कुमार अग्रवाल के अंकित है। इस प्राप्ति रसीद पर खाद्य कारोबारकर्ता नरेन्द्र कुमार अग्रवाल के साथ ही 2 गवाहान के हस्ताक्षर है। पूरी कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट मौके पर उपस्थित गवाहान के समक्ष तैयार की गई है, जिसे मौके पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर के लिये कहा गया है मौके पर ही अभियुक्त एवं गवाहान ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये है। आवेदक ने नियमानुसार मौके पर लिये गये नमूनों का फार्म नम्बर 6 तैयार कर संबंधितों को जमा करवाया है। खाद्य विश्लेषक, राजस्थान जयपुर ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक एल.एस./1280/एक्ट/2020/1368 दिनांक 30.09.2020 प्ररूप बी में नमूना कोड नम्बर और सीरियल नम्बर ई–4603 को मिसब्राण्ड एवं सब–स्टैण्डर्ड (Under section 3 (1)(zf)(C)(i) of FSSA 2006, but this sample is not fully marketable as it sold after the date of best before होना पाया गया है। अतः यह स्पष्ट सिद्ध है कि अभियुक्त नरेन्द्र कुमार अग्रवाल, (विक्रेता/मालिक) मैसर्स नरेन्द्र कुमार एण्ड कम्पनी, पुराना रास्ता, अनाज मण्डी रोड, चौमू, जिला–जयपुर द्वारा मिसब्राण्ड/सब–स्टेण्डर्ड एवं नही विक्रय योग्य नमकीन (कान्हाजी) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लघंन किया है। अतः आवेदन पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अभियुक्त को अधिकतम शास्ति से दण्डित किया जावे।

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर जयपुर जिला–जयपुर सत्यमेव जयते

अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता उपस्थित। विद्वान् अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा जवाब में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि यह प्रकरण खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2006 की धारा 80 बी के साथ–साथ धारा 26 व 27 में कवर होता है। अभियुक्त द्वारा उत्पाद नमकीन को उसी स्थिति में विक्रय किया जा रहा था जिस स्थिति में उसको वितरक एवं थोक विक्रेता से क्रय किया गया था। इसलिए नमकीन कान्हाजी के उसका कोई दायित्व नही बनता है। उसके द्वारा उत्पाद (कान्हाजी नमकीन) में बिना किसी छेडछाड एवं मिलावट के साथ विक्रय किया जा रहा था। खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2006 की धारा 26 व 27 के अनुसार ऐसे उत्पाद के लिए थोक एवं खुदरा व्यापारी के लिए कोई दायित्व नही बनता है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2006 की धारा 80 (b)(2)(d)(1) के अनुसार खाद्य सामग्री उसी स्थिति में बेची जायेगी जिस स्थिति में क्रय की गई थी और इस नियम के अनुसार अभियुक्त पर कोई जुर्माना/शास्ति नही बनती है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जो जांच नमूना लिया गया है वह कम्पनी का पैक्ड आईटम था जिसमें अभियुक्त द्वारा केवल उसका बैचान किया जा रहा था, उसके द्वारा कोई निर्माण नही किया गया था। जिस स्थिति में खरीदा ग़या था उसी स्थिति में बैचान किया जा रहा था। अतः अभियुक्त के विरूद्ध प्रस्तुत परिवाद को बिना किसी पैन्लटी/शास्ति के खारिज किया जावें।

हमने उभयपक्षों की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर होता है कि आवेदक द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (II)/51 एवं 27 (3) (a)/51, 52 एवं 58 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम, 2011 का उल्लंघन पाये जाने पर धारा 51 के अन्तर्गत अभियुक्त को शास्ति से दण्डित करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र के समर्थन में निम्नाकिंत दस्तावेजात की प्रतियां प्रस्तुत की गई हैः–

1. आवेदक स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी है, के समर्थन में खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं (जन.स्वा.), राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एच/एफएएसएसए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.2011 की प्रति ।
2. चौमू क्षेत्र आवेदक को आंवटित है, के समर्थन में आदेश क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/475 दिनांक 10.08.2011 की प्रति।
3. आवेदक द्वारा दिनांक 16.09.2020 को नमूने के लिऐ क्रय किये 4 सील्ड पाउच नमकीन (कान्हाजी) के समर्थन में खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा दिनांक 16.09.2020 को दिये गऐ केश–मीमो की प्रति जिस पर स्वयं खाद्य कारोबारकर्ता नरेन्द्र कुमार अग्रवाल के हस्ताक्षर है।
4. नमूना जांच हेतु क्रय किया गया इसकी सूचना खाद्य कारोबारकर्ता को देने की पुष्टि में मौके पर तैयार किये गये प्ररूप 5ए की प्रति जिस पर प्ररूप 5ए की प्रति प्राप्ति हस्ताक्षर खाद्य कारोबारकर्ता नरेन्द्र कुमार अग्रवाल के है ।
6. मौके पर की गई समस्त कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता नरेन्द्र कुमार अग्रवाल के हस्ताक्षर है।
7. खाद्य विश्लेषक से नमूना जॉच रिपोर्ट की प्रति जो निर्धारित प्ररूप बी में जारी की गई है।

अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया है कि उनके द्वारा वितरक/थोक विक्रेता से जिस स्थिति में उत्पाद (कान्हाजी नमकीन) क्रय की गई है उसके द्वारा पश्चवक्त निरीक्षण विक्रय किया जा रहा था। इसलिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2006 की

धारा 80 (d) एवं 26 तथा 27 के अन्तर्गत उसके विरूद्ध कोई कार्यवाही नही की जा सकती है। हम अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता के कथन से सहमत नही है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 16.09.2020 को कान्हाजी नमकीन के पैक्ड पैकट नमूना जांच हेतु एकत्र किये गये थे। पैक्ड पैकट पर Date Of Mfg./Pkg. Apr 20 अंकित था तथा Best Before में 4 Monthes From The Date Of Packging अंकित था। इस प्रकार अभियुक्त द्वारा माह अप्रैल, 2020 में पैक की गई नमकीन का 04 माह की अवधि में अर्थात् जुलाई, 2020 तक ही विक्रय किया जा सकता था, परन्तु विक्रेता/अभियुक्त द्वारा निर्धारित अवधि गुजर जाने के पश्चात् माह सितम्बर में भी कान्हाजी नमकीन का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उल्लघंन किया जा रहा था। कान्हाजी नमकीन का लैब में परीक्षण करने पर उसमें Synthetic food colour Tatrazine (11mg/kg) found present पाया गया जबकि Tatrazine nor permitted in namkeen/bhujia है, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

अतः उक्त विवेचनानुसार हम यह स्पष्टतः सिद्ध पाते है कि अभियुक्त द्वारा मिसब्राण्ड एवं पैकट पर अंकित निर्धारित समयावधि पूर्ण होने के पश्चात् भी नमकीन (कान्हाजी) विक्रय करके खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। अभियुक्त द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थिति को मध्यनजर रखते हुये हम अभियुक्त के कृत्य के लिये राशि रूपये 15,000 (अक्षरे रूपये पन्द्रह हजार मात्र) की शास्ति आरोपित करते है और यह आदेश देते है कि आरोपित शास्ति नियमानुसार निर्णय दिनांक के एक माह की अवधि में जमा करावें।

निर्णस सरे इजलास आज दिनांक 28.03.2022 को सुनाया गया।

(शंकर लाल सैनी)
स्वाय निर्णयन अधिकारी,
अति. जिला मजिस्ट्रेट,
(चतुर्थ), जयपुर